



प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 03 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी त्रिलोकी राजभर उर्फ गिरिजाशंकर पुत्र श्री अछैबर, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-43383/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.11.2025, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी त्रिलोकी राजभर उर्फ गिरिजाशंकर पुत्र श्री अछैबर (दिनांक 06.10.2025 तक 62 वर्ष, 02 माह 26 दिन), जो ग्राम-बधाई, थाना-बहरियाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी हत्या व ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 17.09.2004 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टा से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-24/2005 व 427/2007 में भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत व 25 आर्म्स एक्ट, 7 क्रि0ला0एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, (नव सृजित अस्थायी एक्स कैडर) गाजीपुर के आदेश दिनांक 30.04.2011 द्वारा मृत्युदण्ड के सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.10.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 24 दिन की सजा मात्र भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा बंदी का अपराध व्यक्ति व्यक्ति विशेष तक सीमित श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से छूटने के बाद आगे पुनः अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- दयायाचिका समिति द्वारा केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी त्रिलोकी राजभर उर्फ गिरिजाशंकर पुत्र श्री अछैबर, निवासी जनपद-गाजीपुर की समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

4- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी त्रिलोकी राजभर उर्फ गिरिजाशंकर (बन्दी संख्या-69/2011) पुत्र श्री अछैबर, निवासी जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 4- निजी सचिव, माओ मंत्री/माओ राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उओप्रओ शासन को माओ मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।